रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 110] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 18, 1972/वैशाख 28, 1894
No. 110 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 18, 1972/VAISAKHA 28, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 18th May 1972

SUBJECT.—*Issue of licences for raw materials, components and spares to actual users both in the large and small scale sectors engaged in industries other than priority industries for the period April 1972—March 1973.*

No. 71-ITC(PN)/72.—Attention is invited to paragraph 36 in Section I of the Import Trade Control Policy Red Book (Vol. I) for the period April 1972—March 1973, in terms of which actual users engaged in non-priority industries requiring raw materials, components and spares for a value in excess of Rupees One lakh are required to produce with their import applications a certificate of production and consumption of imported raw materials/components, and stocks of imported raw materials, by a Chartered Accountant or Cost Accountant.

2. It is clarified that the required certificate should be given in the proforma appearing in Appendix 2 of the Red Book (Vol. I) for April 1972—March 1973 in which the consumption of imported raw materials and components (and not spare parts) during April 1971—March 1972 should be furnished. The statement should be certified by Chartered Accountant or Cost Accountant in practice who should also indicate the c.i.f. value of stocks of imported raw materials/components hold by the applicant on the date on which the certificate, in question is issued. Applications not supported by the certificate in the prescribed form will be liable to be rejected.

3. The import requirements of units in the non-priority sector will be determined by licensing/sponsoring authorities in accordance with the import policy in force as applicable to such industries.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 18 मई, 1972

विषय :—अप्रैल, 1972–मार्च, 1973 अवधि के लिए बड़े तथा छोटे पैमाने क्षेत्र दोनों में लगे हुए प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों से भिन्न उद्योगों के वास्तविक उपयोक्ताओं को कच्चे माल, संघटकों तथा फालतू पुर्जे के लिए आयात लाइसेंस जारी करना।

सं० 71–आई० टी० सी० (पी एन)/72.—अप्रैल, 1972–मार्च, 1973 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (बा० ।) के खंड । की कंडिका 36 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार ऐसे वास्तविक उपयोक्ता जो गैर-प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में लगे हुएहैं और जिन्हें एक लाख रु० से अधिक के कच्चे माल, संघटकों और फालतू पुर्जों की आवश्यकता है, उन्हें चाहिए कि वे अपने आयात आवेदन पत्रों के साथ सनदी लेखापाल (अथवा लागत लेखापाल) द्वारा आयातित कच्चे माल/संघटकों और आयातित कच्चे माल के स्टाक के उत्पादन और खपत के बारे में एक प्रमाण पत्र संलग्न करें।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि अपेक्षित प्रमाण-पत्र अप्रैल, 1972–मार्च, 1973 के लिए रैड बुक (बा० ।) के परिशिष्ट 2 में दिखाए गए प्रपत्र में दिया जाना चाहिए और उसमें अप्रैल 1971-मार्च, 1972 वर्ष के दौरान आयातित कच्चे माल तथा संघटकों (न कि फालपू पुर्जों) की खपत दिखाई जानी चाहिए। यह विवरण व्यवसायी सनदी लेखा पाल अथवा लागत-लेखापाल द्वारा प्रमाणित होना चाहिए और उसे उसमें जिस तिथि को विषयाधीन प्रमाण पत्र जारी किया गया था उस तिथि तक आवेदक द्वारा धारण किए गए आयातित कच्चे माल/संघटकों के स्टाक के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य का भी संकेत करना चाहिए। ऐसे आवेदन पत्र जिनके साथ निर्धारित प्रपत्र ये प्रमाण पत्र नहीं भेजा जाएगा उन्ह अस्वीकार किया जा सकता है।

3. गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के एककों की आयात आवश्यकताओं की निश्चय लाइसेंस/प्रायोजक प्राधिकारीयों द्वारा ऐसे उद्योगों के लिए लागू आयात नीति के अनुसार किया जाएगा।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972